न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 522/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1 टहल सिह पुत्र मिठूसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 फरोज सिह पुत्र मिठू सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम – वादीगण

1 मिठू सिह पुत्र हमीर सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 गुरमहेन्द्रकौर पत्नी गुरजीतसिह जाति जटसिख सा धानकावालीढाणी तह. हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी
श्री विवेक बुढानियॉ – वकील प्रति सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक :– 28.11.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रति स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रति स. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. ज.स. 2073–76 के खाता स. 117/2 में 1.577 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रति स. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 3 में दर्ज है। प्रति स. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. ज.स. 2073–76 के खाता स. 117/2 में 1.577 है. कृषि भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रति स. 2 का प्रति स. 1 के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है। प्रति स. 2 ने अपने हक व हिस्सा की भुमि का परित्याग वादीगण व प्रति स. 1 के पक्ष मे ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त वाद पत्र की चरण स. 2 में दर्ज आराजी का वादीगण व प्रति स.1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया है। मुताबिक विभाजन वादी स. 1 का उक्त खाता में 0.379 है. व वादी स. 2 को 0.759 है. भुमि हिस्सा में आई है। वादीगण इसी अनुसार खातेदार काश्तकार ... के अधिकारी व दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार वादीगण ... खातेदार काश्तकार मान इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवा देवे तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त में वे वादीगण के उक्त निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये। बस यही वाद कारण है।

Signature Not V...
Digitally signed by ...
Date: 2024.12.05 1...
Reason: SelfAttest...

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 522 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1 टहल सिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 फरेज सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1 मिठू सिंह पुत्र हमीर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 गुरमहेन्द्रकौर पत्नी गुरजीतसिंह जाति जटसिख सा धानकावालीढाणी तह. हनुमानगढ़
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी
2— श्री विवेक बुढानियॉं — वकील प्रति सं. 1 ता 2

निर्णय दिनांक :— 28.11.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रति स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रति स. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. ज.स. 2073—76 के खाता स. 117 / 2 मे 1.577 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रति स. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 3 में दर्ज है। प्रति स. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक 13 बी.जी.पी. ज.स. 2073—76 के खाता स. 117 / 2 मे 1.577 है. कृषि भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रति स. 2 का प्रति स. 1 के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है। प्रति स. 2 ने अपने हक व हिस्सा की भुमि का परित्याग वादीगण व प्रति स. 1 के पक्ष मे ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त वाद पत्र की चरण स. 2 मे दर्ज आराजी का वादीगण व प्रति स.1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया है। मुताबिक विभाजन वादी स. 1 का उक्त खाता मे 0.379 है. व वादी स. 2 को 0.759 है. भुमि हिस्सा में आई है। वादीगण इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] अधिकारी व दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई [illegible] की दफा 2 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के [illegible] काश्तकार मान इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवा देवे [illegible] पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त में वे वादीगण के उक्त निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये। बस यही वाद कारण है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaush
Date: 2024.12.05 16:20:55 IS
Reason: SelfAttested

में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कृषि भुमि मे से वादी स. 1 को 0.379 है. व वादी स 2 को 0.759 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता स प्रति स. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगंदार की रिपार्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। जवाबदावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर जवाब स्टेट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी में वादी टहल सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 76/81 जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 एवं चक 13 बीजीपी खाता संख्या 91/92 जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 13 बीजीपी खाता संख्या 117/2 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी संख्या 1 मिठू सिह पुत्र हमीर सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है एवं वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है इसलिए वादपत्र को स्वीकार किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 117/ 2 खाता अजायब सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 मिठू सिह पुत्र हमीर सिह के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया चुका है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। [illegible] साक्ष्यों से वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर यह पाया गया कि पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही की है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में वादी को नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaush
Date: 2024.12.05 16:20:55 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

500/– रूपये के स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर नियमानुसार नकल जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक जवाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी सं. 1 मिठू सिह पुत्र हमीर सिह के नाम चक 13 बीजीपी खाता संख्या 117/2 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज आराजी मे से वादी संख्या 1 को 0.379 है. एवं वादी संख्या 2 को 0.759 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 522 / 2024

1 टहल सिह पुत्र मिठूसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 फरेज सिह पुत्र मिठू सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 मिठू सिह पुत्र हमीर सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 गुरमहेन्द्रकौर पत्नी गुरजीतसिह जाति जटसिख सा धानकावालीढाणी तह. हनुमानगढ

3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विवेक बुढानियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 मिठू सिह पुत्र हमीर सिह के नाम चक 13 बीजीपी खाता संख्या 117 / 2 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज आराजी मे से वादी संख्या 1 को 0.379 है. एवं वादी संख्या 2 को 0.759 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

[illegible] मुकदमें के निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...[illegible] अदा करें। मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख [illegible] को बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज [illegible] जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik

Date: 2024.12.05 16:20:55 IST

Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया